ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 84

ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014 आयोजना	वास्तविक 2013-2014 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2013-2014 जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	बजट 2014-2015 आयोजना-भिन्न	बजट 2014-2015 जोड़	संशोधित 2014-2015 आयोजना	संशोधित 2014-2015 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2014-2015 जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	बजट 2015-2016 आयोजना-भिन्न	बजट 2015-2016 जोड़
	राजस्व	58623.08	43.20	58666.28	80043.00	50.33	80093.33	68156.42	47.73	68204.15	71642.00	53.08	71695.08
	पूंजी	**...**	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	**58623.08**	**43.20**	**58666.28**	**80043.00**	**50.33**	**80093.33**	**68156.42**	**47.73**	**68204.15**	**71642.00**	**53.08**	**71695.08**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	27.45	27.45	...	31.06	31.06	...	30.37	30.37	...	33.03	33.03
2. आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन													
2.01 कार्यक्रम घटक	2501	1707.61	...	1707.61	1312.60	...	1312.60	755.52	...	755.52	977.70	...	977.70
2.02 ईएपी घटक	2501	314.48	...	314.48	60.00	...	60.00	34.00	...	34.00	100.00	...	100.00
जोड़- आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन		*2022.09*	...	*2022.09*	*1372.60*	...	*1372.60*	*789.52*	...	*789.52*	*1077.70*	...	*1077.70*
ग्रामीण रोजगार													
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना													
3.01 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु सहायता	2505	32992.83	...	32992.83	636.00	...	636.00	536.00	...	536.00	986.00	...	986.00
3.02 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	2505	-32994.12	...	-32994.12	-636.00	...	-636.00	-536.00	...	-536.00	-986.00	...	-986.00
	कुल	*-1.29*	...	*-1.29*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
आवास													
4. ग्रामीण आवास													
4.01 इंदिरा आवास योजना	2216	12981.65	...	12981.65	21.00	...	21.00	9.73	...	9.73	21.00	...	21.00
4.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	2216	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	*12981.65*	...	*12981.65*	*21.00*	...	*21.00*	*9.73*	...	*9.73*	*21.00*	...	*21.00*
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम													
5. डीआरडीए प्रशासन	2515	400.01	...	400.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2515	32.00	14.10	46.10	45.00	17.45	62.45	27.00	15.70	42.70	45.00	18.25	63.25
7. कापार्ट को सहयोग	2515	...	...	...	10.00	...	10.00	6.00	...	6.00	10.00	...	10.00
8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2515	3.00	...	3.00	50.00	...	50.00	...	...	...	...	...	...
9. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और जिला योजना प्रक्रिया आदि का सुदृढ़ीकरण	2515	82.70	1.65	84.35	117.00	1.82	118.82	112.00	1.66	113.66	117.00	1.80	118.80

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
10. बीपीएल सर्वेक्षण	2515	303.52	...	303.52	519.30	...	519.30	328.50	...	328.50	315.00	...	315.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*303.52*	*...*	*303.52*	*519.30*	*...*	*519.30*	*328.50*	*...*	*328.50*	*315.00*	*...*	*315.00*
11. फ्लैक्सी निधि	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. आरयूआरबीएएन मिशन	2515	...	...	...	90.00	...	90.00	1.80	...	1.80	270.00	...	270.00
13. ग्रामीण उद्यमिता प्रारंभन कार्यक्रम	2515	...	...	...	90.00	...	90.00	0.90	...	0.90	180.00	...	180.00
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		**821.23**	**15.75**	**836.98**	**921.30**	**19.27**	**940.57**	**476.20**	**17.36**	**493.56**	**937.00**	**20.05**	**957.05**
सड़कें और पुल													
14. केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3054	5827.20	...	5827.20	4160.20	...	4160.20	4160.20	...	4160.20	3030.03	...	3030.03
15. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)													
15.01 कार्यक्रम घटक	3054	9124.11	...	9124.11	4185.41	...	4185.41	4185.41	...	4185.41	4134.25	...	4134.25
15.02 ईएपी घटक	3054	681.17	...	681.17	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.75	...	50.75
15.03 पीएमजीएसवाई पर सीआरएफ से पूरी की गई राशि	3054	-5827.20	...	-5827.20	-4160.20	...	-4160.20	-4160.20	...	-4160.20	-3030.03	...	-3030.03
	कुल	*3978.08*	*...*	*3978.08*	*75.21*	*...*	*75.21*	*75.21*	*...*	*75.21*	*1154.97*	*...*	*1154.97*
जोड़-सड़कें और पुल		**9805.28**	**...**	**9805.28**	**4235.41**	**...**	**4235.41**	**4235.41**	**...**	**4235.41**	**4185.00**	**...**	**4185.00**
16. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2235	...	...	...	17.00	...	17.00	4.62	...	4.62	8.00	...	8.00
17. राष्ट्रीय निवेश - निधि को अंतरण													
17.01 ग्रामीण रोजगार	2505	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17.02 ग्रामीण आवास	2216	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय निवेश - निधि को अंतरण		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण													
18.01 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण	2505	32994.12	...	32994.12	636.00	...	636.00	536.00	...	536.00	986.00	...	986.00
18.02 एनआईएफ से पूरी की गई राशि	2505	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	*32994.12*	*...*	*32994.12*	*636.00*	*...*	*636.00*	*536.00*	*...*	*536.00*	*986.00*	*...*	*986.00*
19. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
19.01 आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	2552	...	...	...	141.40	...	141.40	81.00	...	81.00	122.30	...	122.30
19.02 ग्रामीण आवास	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19.03 डीआरडीए प्रशासन	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19.04 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2552	...	...	...	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
19.05 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
19.06 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और जिला योजना प्रक्रिया आदि का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00
19.07 बीपीएल सर्वेक्षण	2552	...	...	...	57.70	...	57.70	36.50	...	36.50	35.00	...	35.00
19.08 फ्लेक्सी निधि	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19.09 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - कार्यक्रम घटक	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19.10 आरयूआरबीएएन मिशन	2552	...	...	...	10.00	...	10.00	0.20	...	0.20	30.00	...	30.00
19.11 ग्रामीण उद्यमिता प्रारंभन कार्यक्रम	2552	...	...	...	10.00	...	10.00	0.10	...	0.10	20.00	...	20.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान		...	...	...	*237.10*	...	*237.10*	*133.80*	...	*133.80*	*225.30*	...	*225.30*
राज्य आयोजना स्कीमें													
20. *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन*													
20.01 कार्यक्रम घटक-राज्य आयोजना	3601	...	...	...	1698.90	...	1698.90	804.90	...	804.90	911.80	...	911.80
20.02 ईएपी घटक	3601	...	...	...	590.00	...	590.00	416.00	...	416.00	300.00	...	300.00
20.03 कार्यक्रम घटक-संघ राज्य क्षेत्र आयोजना	3602	...	...	...	3.50	...	3.50	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
20.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान	2552	...	...	...	193.60	...	193.60	93.00	...	93.00	88.20	...	88.20
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन		...	...	...	*2486.00*	...	*2486.00*	*1315.90*	...	*1315.90*	*1305.00*	...	*1305.00*
21. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	3601	...	...	...	33353.00	...	33353.00	32456.00	...	32456.00	33700.00	...	33700.00
	3602	...	...	...	11.00	...	11.00	8.00	...	8.00	13.00	...	13.00
	जोड़	...	...	...	*33364.00*	...	*33364.00*	*32464.00*	...	*32464.00*	*33713.00*	...	*33713.00*
22. *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम*													
22.01 कार्यक्रम घटक-राज्य आयोजना	3601	...	...	...	33353.00	...	33353.00	32456.00	...	32456.00	33700.00	...	33700.00
22.02 कार्यक्रम घटक-सं.रा.क्षेत्र अयोजना	3602	...	...	...	11.00	...	11.00	8.00	...	8.00	13.00	...	13.00
22.03 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	3601	...	...	...	-33353.00	...	-33353.00	-32456.00	...	-32456.00	-33700.00	...	-33700.00
	3602	...	...	...	-11.00	...	-11.00	-8.00	...	-8.00	-13.00	...	-13.00
	जोड़	...	...	...	*-33364.00*	...	*-33364.00*	*-32464.00*	...	*-32464.00*	*-33713.00*	...	*-33713.00*
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना	2552	...	...	...	1601.00	...	1601.00	1101.00	...	1101.00	1003.00	...	1003.00
	3601	...	...	...	14375.00	...	14375.00	9889.27	...	9889.27	8997.00	...	8997.00
	3602	...	...	...	3.00	...	3.00	...	...	...	4.00	...	4.00
	जोड़	...	...	...	*15979.00*	...	*15979.00*	*10990.27*	...	*10990.27*	*10004.00*	...	*10004.00*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
24. केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3601	...	...	...	3493.20	...	3493.20	3493.20	...	3493.20	4623.47	...	4623.47
25. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना													
25.01 कार्यक्रम घटक- राज्य क्षेत्र आयोजना	3601	...	...	...	5611.49	...	5611.49	5439.59	...	5439.59	6256.95	...	6256.95
25.02 कार्यक्रम घटक- सं.रा. क्षेत्र आयोजना	3602	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
25.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552	...	...	...	1089.10	...	1089.10	1070.00	...	1070.00	1155.00	...	1155.00
25.04 ईएपी घटक	3601	...	...	...	3450.00	...	3450.00	3450.00	...	3450.00	2688.05	...	2688.05
25.05 पीएमजीएसवाई संबंधी सीआरएफ से पूरी की गई राशि	3601	...	...	...	-3493.20	...	-3493.20	-3493.20	...	-3493.20	-4623.47	...	-4623.47
	कुल	...	...	...	*6662.39*	...	*6662.39*	*6471.39*	...	*6471.39*	*5482.53*	...	*5482.53*
26. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2552	...	...	...	1063.50	...	1063.50	308.72	...	308.72	909.00	...	909.00
	3601	...	...	...	9483.47	...	9483.47	6879.23	...	6879.23	8091.00	...	8091.00
	3602	...	...	...	71.03	...	71.03	48.43	...	48.43	74.00	...	74.00
	जोड़	...	...	...	*10618.00*	...	*10618.00*	*7236.38*	...	*7236.38*	*9074.00*	...	*9074.00*
जोड़-राज्य आयोजना स्कीमें		**...**	**...**	**...**	**72602.59**	**...**	**72602.59**	**61971.14**	**...**	**61971.14**	**64202.00**	**...**	**64202.00**
कुल जोड़		***58623.08***	***43.20***	***58666.28***	***80043.00***	***50.33***	***80093.33***	***68156.42***	***47.73***	***68204.15***	***71642.00***	***53.08***	***71695.08***
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	2022.09	...	2022.09	1372.60	...	1372.60	789.52	...	789.52	1077.70	...	1077.70
2. ग्रामीण रोजगार	12505	32992.83	...	32992.83	636.00	...	636.00	536.00	...	536.00	986.00	...	986.00
3. आवास	22216	12981.65	...	12981.65	21.00	...	21.00	9.73	...	9.73	21.00	...	21.00
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	821.23	...	821.23	921.30	...	921.30	476.20	...	476.20	937.00	...	937.00
5. सड़क एवं पुल	13054	9805.28	...	9805.28	4235.41	...	4235.41	4235.41	...	4235.41	4185.00	...	4185.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	237.10	...	237.10	133.80	...	133.80	225.30	...	225.30
7. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	...	...	...	17.00	...	17.00	4.62	...	4.62	8.00	...	8.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**58623.08**	**...**	**58623.08**	**7440.41**	**...**	**7440.41**	**6185.28**	**...**	**6185.28**	**7440.00**	**...**	**7440.00**
राज्य योजना:													
1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	43601	...	...	...	2482.50	...	2482.50	1313.90	...	1313.90	1300.00	...	1300.00
2. ग्रामीण रोजगार	43601	...	...	...	33353.00	...	33353.00	32456.00	...	32456.00	33700.00	...	33700.00
3. आवास	43601	...	...	...	15976.00	...	15976.00	10990.27	...	10990.27	10000.00	...	10000.00
4. सड़कें और पुल	43601	...	...	...	10150.59	...	10150.59	9959.59	...	9959.59	10100.00	...	10100.00
5. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	43601	...	...	...	10546.97	...	10546.97	7187.95	...	7187.95	9000.00	...	9000.00

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
जोड़ - राज्य योजना		**...**	**...**	**...**	**72509.06**	**...**	**72509.06**	**61907.71**	**...**	**61907.71**	**64100.00**	**...**	**64100.00**
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	43602	...	...	...	3.50	...	3.50	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
2. ग्रामीण रोजगार	43602	...	...	...	11.00	...	11.00	8.00	...	8.00	13.00	...	13.00
3. आवास	43602	...	...	...	3.00	...	3.00	...	...	...	4.00	...	4.00
4. सड़कें और पुल	43602	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
5. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	43602	...	...	...	71.03	...	71.03	48.43	...	48.43	74.00	...	74.00
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		**...**	**...**	**...**	**93.53**	**...**	**93.53**	**63.43**	**...**	**63.43**	**102.00**	**...**	**102.00**
जोड़		**58623.08**	**...**	**58623.08**	**80043.00**	**...**	**80043.00**	**68156.42**	**...**	**68156.42**	**71642.00**	**...**	**71642.00**

1. यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2 & 20. राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ग्रामीण और शहरी घटकों वाला एक अम्ब्रैला कार्यक्रम है। आजीविका मिशन (ग्रामीण) (एनआरएलएम) के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे के युवाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरु करने और मजदूरी नियोजन के संस्थापन में समर्थ बनाने हेतु बुनियादी और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए।

एनआरएलएम के तहत, नियोजन संबद्ध कौशल विकास और अभिनव विशेष परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत निधियां उपलब्ध है। कौशल विकास संबंधी प्रत्येक विशेष परियोजना का उद्देश्य नियमित मजदूरी नियोजन सुनिश्चित करके तैनाती के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की विशिष्ट संख्या को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए एक समयबद्ध प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सुनिश्चय किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर (एसईईजे एन्ड के), हिमायत में कौशल सशक्तीकरण और नियोजन नामक एक नई स्कीम भी कार्यान्वित कर रहा है। इसमें अगले पांच वर्ष में जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक लाख युवाओं को दायरे में लाए जाने की परिकल्पना की गई है। इसमें विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि, अर्थात् स्कूल छोड़ने वाले, अंडर ग्रेजुएट, आदि युवा कवर किए जाएंगे। 70 प्रतिशत निधियों का उपयोग मजदूरी नियोजन के लिए और शेष 30 प्रतिशत का स्व-नियोजन के लिए किया जाएगा।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्यों को कर संसाधनों के व्यापक अंतरण के दृष्टिगत केन्द्रः राज्य वित्त पोषण के प्रतिरूप को संशोधित किया जा रहा है जिसके द्वारा इस योजना में, इस कार्यक्रम संबंधी समग्र व्यय में कमी नहीं आएगी।

3 & 22. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार का एक प्लैगशिप कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 02.02.2006 से कार्यान्वित किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इच्छुक वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिन की अकुशल मजदूरी नियोजन सुनिश्चित करके ग्रामीण परिवारों को आजोविका सुरक्षा के संवर्धन की व्यवस्था करना है। देश के सर्वाधिक पिछड़े 200 जिलों में आरम्भिक रूप से कार्यान्वित इस कार्यक्रम का तत्पश्चात दो चरणों में पूरे देश में विस्तार किया गया था।

महात्मा गांधी नरेगा में ऐसी टिकाऊ और उत्पादक आस्तियों के सृजन की व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और परिस्थितिकीय विकास में अत्यधिक योगदान देंगी। आस्ति सृजन के उद्देश्य से स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा जाता है और कार्यस्थल पर सामुदायिक भागीदारी और विभागीय सामंजस्य की अपेक्षा की जाती है।

भारत सरकार की एकीकृत कार्रवाई योजना (आईएपी) के अंतर्गत शामिल किए गए पिछड़े जिलों पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे एकीकृत कार्रवाई योजना वाले जिलों में मनरेगा कामगारों को समय पर मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों/डाकघरों की अपर्याप्त पहुंच वाले क्षेत्रों में नकद भुगतान की अनुमति दी गई है। मनरेगा के तहत क्रीड़ा स्थलों और आंगनबाड़ी का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत शुरु किए जाने वाले एक अनुमेय कार्यक्रम के रूप में अधिसूचित किया गया है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) हेतु 51 जिलों में से 46 ग्रामीण जिलों में आधार समर्थ मजदूरी की प्रायोगिक आधार पर अदायगी की जा रही है।

4 & 23. सभी (ग्रामीणों) के लिए आवास का उद्देश्य मूल रूप से रिहायशी इकाइयों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और गैर-अ.जा./अ.ज.जा. के ग्रामीण परिवारों के लिए मरम्मत न किए जाने योग्य विद्यमान कच्चे मकानों का उन्नयन करना है।

स्वच्छ शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के सामंजस्य से इंदिरा आवास योजना वाले मकान की अनिवार्य आवश्यकता है। अपेक्षाकृत अधिक अंतरण हेतु राज्य संवर्धित संसाधन जुटा सकते हैं।

6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु एक शीर्ष संस्थान है। विकास संबंधी विषयों पर पाठ्यक्रमों के आयोजन के अतिरिक्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की एक महत्वपूर्ण चिन्ता है।

7. उन्नत लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद (सीएपीएआरटी) को उद्देश्य विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से और आवश्यकता आधारित नवोन्मेष परियोजनाओं में लोगों को शामिल करना है। सीएपीएआरटी सामाजिक संसाधन जुटाने की उच्चदर डिग्री, सामाजिक अवरोधों को कम करने और ग्रामीण गरीबों के सशक्तीकरण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए लोक अभियानों को सृजित करने का कार्य करती है।

9. इसमें प्रशिक्षण कार्यक्लापों, जागरूकता सृजन आईईसी, निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न पहलूओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंधन, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण का प्रावधान शामिल है।

10. यह प्रावधान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों, जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लक्षित किया जा सकता है के अभिचिन्हन के लिए बीपीएल सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए है।

12. आर्थिक गतिविधियों के एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए बजट 2014-15 में रूरबन मिशन की घोषणा की गई थी। इस स्कीम का मिशन उद्देश्य ग्रामीण-शहरी मलिन बस्तियों में जीवन यापन करने के लिए जीवन के स्तर की गुणवत्ता में सुधार करना, ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटना और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवर्जन को कम करना तथा कदाचित प्रति प्रवर्जन को सुगम करना है।

13. ग्राम उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एसवीईपी) की शुरूआत में आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और ग्राम उद्यमों की स्थापना करने के लिए परामर्शी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके ग्रामीण गरीब परिवारों द्वारा ग्राम स्तर पर उद्यमिता शुरू करने को संवर्धित करने के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। एसवीईपी में ग्रामीण गरीब युवा-वर्ग को बाजार के साथ कुशल रूप से लगे रहने में समर्थ बनाकर और स्थानीय रूप से धन के सृजन में सहायता करके, ग्रामीण गरीब युवा-वर्ग की बड़ी संख्या को स्थायी स्व-रोजगार के सृजन को परिकल्पित किया गया है। प्रक्रिया में, एसवीईपी बैंको और वित्तीय संस्थाओं को ग्राम उद्यमियों के ओर समीप लाएगा।

15 & 25. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ नेटवर्क में विद्यमान, न जुड़े हुए पात्र सभी आवासीय स्थानों को सभी मौसमों में अनुकूल सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने का है। इस कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और अधिक तथा विशेष श्रेणी राज्यों, जनजातिय अनुसूची-V क्षेत्रों, मरूस्थल विकास कार्यक्रम में यथा अभिचिन्हित मरूस्थल क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के तहत 82 चुनिंदा जनजातिय और पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की जनसंख्या वाले न जुड़े हुए सभी पात्र आवासीय स्थानों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए कुल लक्षित आवासीय स्थान 1,78,184 हैं। इस कार्यक्रम में मौजूदा ग्रामीण सड़कों के 3.75 लाख कि.मी. को उन्नत करने के लक्ष्य वाला उन्नयन संघटक भी है। इसमें खेतों का बाजार से पूर्ण सम्पर्क को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा निधिपोषित की जाने वाली ग्रामीण सड़कों का 40 प्रतिशत पुनरूद्धार शामिल है।

ग्रामीण सड़कों को भारत निर्माण के छह घटकों में से एक के रूप में अभिचिन्हित किया गया है। इसका लक्ष्य 1000 व्यक्तियों और उससे अधिक तथा पहाड़ी अथवा अनुसूची-V जनजातिय क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी आवासीय स्थानों को सभी-मौसम में अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराना है। इस घटक में खेतों को बाजार से पूर्ण सम्पर्क को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा निधिपोषित की जाने वाली ग्रामीण सड़कों का 40 प्रतिशत अर्थात मौजूदा ग्रामीण सड़कों के 1.94 लाख कि.मी. के पुनरूद्धार का लक्ष्य शामिल है। राज्यों द्वारा स्थानीय प्रमाणन के आधार पर, कुल 63,940 आवासीय स्थानों को भारत निर्माण के अंतर्गत जोड़े जाने का लक्ष्य है।

पीएमजीएसवाई 3 के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता से बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं अर्थात ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना I और II तथा विश्व बैंक की सहायता वाली ग्रामीण सड़क परियोजना I विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में एडीबी के अंतर्गत ग्रामीण सड़क क्षेत्र III परियोजना पर कार्यक्रम के तहत सहायता उपलब्ध कराने पर वार्ता की जा रही है। विश्व बैंक की ग्रामीण सड़क परियोजना II के तहत, 14 जनवरी, 2011 को 1.5 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए। सात राज्यों में परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

16 & 26. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सहायता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अशक्त व्यक्ति पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय परिवार लाभार्थी स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम को दी जाती है।

19. यह प्रावधान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के हितों की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए रखा गया है।